



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072021-228131
CG-DL-E-06072021-228131

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2515]
No. 2515]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 6, 2021/आषाढ 15, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 6, 2021/ASHADHA 15, 1943

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2021

का.आ. 2716(अ).—दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के दिनांक 16.06.2021 के संकल्प संख्या 3 के द्वारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम के श्री योगेश कुमार वर्मा के स्थान पर वार्ड संख्या 002-एस के निगम पार्षद श्री कैलाश सांकला के चुनाव के परिणामस्वरूप, श्री कैलाश सांकला दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 की उपधारा (3) के अनुच्छेद (ड.) के तहत तत्काल प्रभाव से, 31 दिसंबर, 2021 तक की अवधि के लिए या जब तक वे दक्षिण दिल्ली नगर निगम के सदस्य न रह जाएं, जो भी पहले हो, तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य रहेंगे।

[फा. सं. के-11011/21/2004-डीडीआईए]

वी. के. कुशवाहा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2021

S.O. 2716(E).—Consequent upon election of Shri Kailash Sankla, Municipal Councillor, Ward No. 002-S, by South Delhi Municipal Corporation, vide its Resolution No. 3 dated 16.06.2021 *vice Shri Yogesh Kumar Verma, North Delhi Municipal Corporation*, Shri Kailash Sankla shall be a member of Delhi Development Authority under clause (e) of sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), with immediate effect, for a period upto 31st December, 2021 or until he ceases to be a Councillor of South Delhi Municipal Corporation, whichever event takes place earlier.

[F. No. K-11011/21/2004-DDIA]

V. K. KUSHWAHA, Under Secy.